

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग,  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/285/19/वित्त/नि/चार/2002  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 5 जून, 2002

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
आयुक्त, रायपुर,  
कलेक्टर, रायपुर ।

विषय:-मध्यप्रदेश शासन द्वारा आबंटित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते बाबत।  
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-1/22/2000/सी/चार, दिनांक 4  
दिसम्बर 2000.

उक्त संदर्भित ज्ञापन द्वारा मध्यप्रदेश से आये छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित अधिकारी/कर्मचारी  
को दिये जाने वाले भत्तों के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त ज्ञापन के बिन्दु क्रमांक- 3 के तहत  
भोपाल से आये कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता की सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया  
जाता है ।



(अवध बिहारी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग